The Municipal Corporation of Delhi have established one Polyclinic under their School Health Scheme in each of the 10 zones of the Corporation where Eye Specialist, Refractionist and equipments are available. New Delhi Municipal Committee has also divided its areas into eight zones and each zone is having one Medical Officer. Timely treatment is provided by all these institutions depending upon the nature of the disease.

Fraudulent encashment of National Savings Certificates

1174 SHRI I P. GOYAL : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some postal employees were found cheating the Posts and Telegraphs Department fraudulently encashing National Savings Certificates from different post offices in Delhi;

(b) if so, what are the details in this regard; and

(c) whether any action has been taken against those employees ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SONTOSH MOHAN DEV) : (a) Yes, Sir.

(b) The Extra Departmental Sub-Postmaster, Chakarpur (Nainital) with the help of an outsider, fraudulently encashed 14 National Savings Certificates (of various denominations) forming part of his office stock, on the strength of fictitious identity slips in several Post Offices, in Delhi in the month of August, 87. The total amount involved is Rs 1,51,125.

(c) The miscreants have been arrested by the Police and the case is under investigation

Difficulties faced by passengers using Jaunpur city railway station

1175. SHRI SOHAN LAL DHUSIYA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government are aware of difficulties faced by passengers using Jaunpur city railway station in Uttar Pradesh because of bad condition of the approach road, which is a railway property, connecting the station to the main road;

(b) if so, what steps are being taken to provide a good pucca road which is not water logged during the rains; and

(c) whether the inadequate shed on the platform is being extended to provide shade to passengers; whether toilet facilities and waiting room also to be provided ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RAILWAYS SHRI MADHAVRAO SCINDIA) : (a) and (b) There is a proposal to improve the existing road surface by providing black topped surface.

(c) The platform cover provided is adequate as per norms. Toilet facilities both for males and females are already available. These are considered adequate. Existing waiting hall is proposed to be extended by 550 sq. m.

राजस्थान में टेलीफोन केन्द्रों के लिए भवनों की व्यवस्था

1176 श्री भंवर लाल पंवार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1984–85, 1985–86 और 1986–87 के वर्षों के दौरान विभाग ने राजस्थान में टेलीफोन केन्द्रों के लिए कुल कितने भवनों का निर्माण किया और उन पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी ;

(ख) विभाग ने 543 टेलीफोन केन्द्रों को चलाने के लिए किराए पर लिए गए भवनों के लिए प्रति मास कुल कितने किराए का भुगतान किया और जनवरी, 1986 से लेकर अब तक प्रति माह कितने किराए का भुगतान किया जा रहा है, और

(ग) जोधपुर में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने आवेदन लंबित है और आवेदकों द्वारा प्रति वर्ष कितनी-कितनी अग्रिम राशि जमा करायी गयी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) वित्तीय वर्ष

1984–85 वित्तीय वर्ष	शून्य
1985–86 वित्तीय वर्ष	दो नए भवन और दो भवनों का विस्तार
1986–87	आठ भवन ।

इन पर भूमि सहित किया गया कुल व्यय 2,51,26,277 रु० है ।

(ख) 31-10-1987 को राजस्थान दूरसंचार सर्किल में जयपुर, दूरसंचार जिले सहित किराये के भवनों मे कार्यरत टेलीफोन एक्सचेंज की कुल संख्या 633 है । टेलीफोन एक्सचेंजों भवनों के लिए विभाग द्वारा कुल 2,27,744 रु० मासिक किराये का भुगतान किया जाता है । जनवरी, 1986 से अक्तूबर 1987 तक कुल 50,10,368 रु० किराये की अदायगी की गई है ।

(ग) जोधपुर में नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए लम्बित पड़े आवेदनों की संख्या 5,847 है । वर्षवार जमा की गई अग्रिम राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण मे दिया गया है :—

विवरण

वर्षवार जमा की गई अग्रिम धनराशि का ब्यौरा

वर्ष	राशि
1980–81	5,89,000
1981–82	7,52,000
1982–83	6,25,000
1983–84	5,01,000
1984–85	7,43,000
1985–86	18,97,000
1986–87	17,24,000
1987–88	11,76,000
कुल	80.07,000

विकलांग और असहाय व्यक्तियों की मार्फत डाक घर सुविधाओं की व्यवस्था किया जाना

1177. **श्री भंवर लाल पंवार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार भारतीय डाक घर अधिनियम में संशोधन करके और राजस्थान के उन गावों में जिनमे विभागीय डाक घर सेवा अभी तक उपलब्ध नही कराई गई है, विकलांग और असहाय व्यक्तियो से आवश्यक प्रतिभूति राशि जमा करवा कर उन के ही माध्यम से कमीशन के आधार पर ग्रामवासियों के लिए डाकघर सुविधाये उपलब्ध कराने का विचार रखती है यदि हा तो सरकार यह सुविधा कब तक उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : राजस्थान सहित सभी डाक सर्किलो में 19–8–1985 से एक योजना शुरू की गई थी जिसके अन्तर्गत शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रो मे कमीशन के आधार पर कतिपय मूल डाक सेवाए मुहैया कराने के लिए लाइसेंसशुदा डाक एजेंटो की नियुक्तियां की गई थीं । अन्य लोगो के साथ-साथ विकलांग व्यक्तियो को वरीयता श्रेणी में रखा गया था ।

राजस्थान सर्किल में इस योजना के अन्तर्गत 1986 के अन्त तक 70 लाइसेंसशुदा डाक एजेंट काम कर रहे थे, जिसमें से 3 ग्रामीण क्षेत्रों में थे । इनमे से कितने एजेंट शारीरिक रूप से विकलांग थे इसका पता लगाने के लिए जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विभाग ने यह निर्णय लिया है कि 13–7–1987 से डाक एजेंसियो के लिए कोई नया लाइसेंस जारी न किया जाए । ग्रामीण क्षेत्रो मे अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों के जरिए ही डाकघर सुविधा प्रदान की जाएगी ।